कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई

(एकीकृत बाल संरक्षण योजना)

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला– राजनांदगॉव(छ0ग0)

Phone-07744-220405 Email-dcpurjn@gmail.com

क्र. 5300/मबावि/आईसीपीएस/2018–19 राजनांदगांव, दिनांक 19/12/18

//अभिरूचि प्रस्ताव सूचना//

एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालक संप्रेक्षण गृह के संचालन हेतु राजनांदगांव शहर अथवा शहर के आस–पास किराये के भवन की आवश्यकता है। भवन की क्षमता 50 बालकों को रखे जाने हेतु न्यूनतम 04 हॉल, 04 कमरे, 05 स्नान घर, 8 लेटबॉथ, रसोई कक्ष, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, परामर्श कक्ष, प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास, बालको के लिए पर्याप्त खेल मैदान, सुरक्षित बाउण्ड्रीवाल सहित सुसज्जित मकान की आवश्यकता है। जिन्हे स्वयं का मकान किराये पर देना हो वे आवश्यक अभिलेखो के साथ आवेदन कर सकते है। इस हेतु अनिवार्यतः भवन का आकार फोटोग्राफ, नक्शा एवं खसरा, बी–वन संलग्न करें। उक्त भवन हेतु मासिक किराया राशि 35,000.00 का प्रावधान है। चयनित भवन का नियमानुसार कलेक्टर रेन्ट कंट्रोल अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारण के आधार पर भुगतान किया जावेगा। बालकों की सुरक्षात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर शासन के निर्देशानुसार अधोसंरचना में सुधार भवन मालिक के द्वारा किया जाना होगा जिसके लिए पृथक से राशि देय नही होगी।

अतः इच्छुक भवन स्वामियों से दिनांक 07/01/19 शाम 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास राजनांदगांव में अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा उक्त जानकारी जिले की वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in में भी देखी जा सकती है। इनके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, कलेक्ट्रेट परिसर संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्र. 11 राजनांदगांव के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर
राजनांदगांव

पृ.क्रमांक 5301/मबावि/आईसीपीएस/2018–19 राजनांदगांव, दिनांक 19/12/18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर सह नोडल अधिकारी जिला सूचना विज्ञान विभाग, जिला राजनांदगांव को जिले के वेबसाइड में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
3. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग को अखबार में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
राजनांदगांव